न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0 05/2024 (जी.सी.एम.एस.नम्बरः 2024/136) पीठासीन अधिकारीः—श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. बदन सिंह पुत्र भंवर सिंह
2. यादराम
3. अजमत } पुत्रगण स्व0 रामचरन पुत्र भंवर सिंह
4. अंकित आयु 10 बर्ष पुत्र स्व0 वीरी सिंह } जरिये वली सरपरस्त
5. देव आयु 06 बर्ष पुत्र स्व0 श्री वीरी सिंह } माता सविता पत्नी स्व.वीरी सिंह
6. सविता पत्नी स्व0 श्री वीरी सिंह
7. मुखत्यार सिंह
8. नबाव सिंह } पुत्रगण स्व0 रतीराम
9. श्रीराम
10. गोपाल
11. बाबूलाल } पुत्रगण स्व0 किशन सिंह
12. डालचन्द
13. धारा
14. योगेन्द्र सिंह } पुत्रगण स्व0 श्री गोविन्द सिंह
15. इन्द्राज सिंह
16. करतार सिंह
17. बनवारी } पुत्रगण स्व0 भजनलाल
18. सुभाष

} जातियान जाट नि0 बडेसरा(जनूथर)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र स्व0 दर्याव
2. देशराज सिंह
3. लखन सिंह } पुत्रगण स्व0 टीकम सिंह

} जातियान जाट नि0 ग्राम बडेसरा तहसील जनूथर

4. गुड्डी पुत्री स्व0 टीकम सिंह पत्नी राकेश } जातियान जाट नि0 ग्राम बाला का नगला तह0 महावन
5. शीला पुत्री स्व0 टीकम सिंह पत्नी भूरी सिंह } जिला मथुरा (उ.प्र.)

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

6\. अंजू पुत्री स्व0 टीकम सिंह पत्नी स्व0 विजय सिंह जाति जाट नि0 ग्राम मिलकपुर तहसील बयाना

7\. अनारदेई पत्नी स्व0 टीकम सिंह

8\. किरनपाल पुत्र स्व0 हुकम

9\. हरवीर

10\. राजवीर } पुत्रगण स्व0 कुंवरसैन

11\. विमला पत्नी स्व0 कुंवरसैन

} जातियान जाट नि0 ग्राम बडेसरा तहसील जनूथर (7 से 11)

12\. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जनूथर

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 111 एल.आर.एक्ट,</u>

निर्णय

दिनांकः 10.01.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 व 111 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि बन्दोवस्त से पूर्व गत आराजी खसरा नम्बर 1161 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा प्रार्थीगण के पूर्वज भंवर सिंह,रतीराम,किशन सिंह पुत्रगण जल सिंह व भजनलाल नवीरा जल सिंह की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिससे बन्दोवस्त विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बरान 1070/0.36, 1071/0.30 वाके ग्राम बडेसरा तहसील जनूथर बनाये गये है। जिन पर प्रार्थीगण मुताविक हिस्सा जमाबन्दी अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसी प्रकार गत आराजी खसरा नम्बर 1162 रकबा 1वीघा 14 विस्वा अप्रार्थीगण के पूर्वज दरयाब, टीकम सिंह,श्यामलाल,हुकम सिंह की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिससे हाल बन्दोवस्त में नवीन खसरा नम्बर 1072/0.34 वाके ग्राम बडेसरा तहसील जनूथर बनाया गया है। प्रार्थीगण के गत खसरा नम्बर 1161 की उत्तरी–पश्चिमी मेंड के वतरफ पश्चिम बडेसरा से मवई जाने वाला रास्ता ख.न. 1019/0.45 वाके ग्राम बडेसरा है जोकि प्रार्थीगण के गत खसरा नम्बर 1161 की पश्चिमी मेंड के उत्तरी–पश्चिमी कौने से भिडा हुआ है जिससे होकर प्रार्थीगण रास्ते से चलकर अपने खेत में आते जाते है और लगातार इसी रास्ते का उपयोग अपने खेत गत ख.न. 1161 जिससे हाल बन्दोवस्त में दो नवीन ख.न. 1070 व 1071 बनाये है,पर आने जाने के उपयोग में लेते चले आ रहे है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण नवीन ख.न. 1070 के उत्तरी पश्चिमी कौने से रास्ता से भिडा हुआ है तथा प्रार्थीगण के गत ख.न. 1161 के वतरफ पश्चिम अप्रार्थीगण की खातेदारी का गत ख.न. 1162 है जो उक्त रास्ते ख.न. 1019 से भिडा हुआ है और इसी अनुसार प्रार्थीगण के गत ख.न. 1161 व अप्रार्थीगण के गत ख.न. 1162 एवं उनके वतरफ पश्चिम रास्ता प्रदर्शित करते हुए गत नक्शा सम्बत 1926 बनाया गया है जिसमें प्रार्थीगण के गत ख.नम्बर 1161 के उत्तरी पश्चिमी कौने को रास्ते से भिडा हुआ सही प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। बन्दोवस्त विभाग द्वारा सैटिलमेंट ऑपरेशन के बाद जो नवीन नक्शा बनाया गया है उसमें गलत तरीके से अप्रार्थीगण के गत ख.नम्बर 1162 से बने नवीन ख.नम्बर 1072 को उत्तरी कौने से रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
डंाग (डीग) राज.

के समानान्तर आगे बढाते हुए नवीन ख.न. 1030 तक प्रदर्शित किया गया है तथा प्रार्थीगण के नवीन ख.न. 1070 को रास्ते से दूर प्रदर्शित किया गया है और रास्ते व ख.नम्बर 1070 के उत्तरी–पश्चिमी कौने के मध्य अप्रार्थीगण के ख.नम्बर 1072को गलत तरीके से दर्शाया गया है और बन्दोवस्त विभाग द्वारा अप्रार्थीगण के नाम नवीन ख.न. 1072/0.34 में गत रकबा के मुकावले 07 ऐयर आराजी अधिक दर्ज करदी है जबकि प्रार्थीगण के ख.नम्बर 1070 की आराजी शुरू से ही अपने उत्तरी–पश्चिमी कौने से रास्ते ख.नम्बर 1019 से भिडी हुई थी और प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग लगातार करते चले आ रहे थे और आज भी प्रार्थीगण की आराजी ख0नम्बर 1070 रास्ते के ख.नम्बर 1019 से उत्तरी पश्चिमी कौने से भिडी हुई है लेकिन बन्दोस्त विभाग द्वारा गत नक्सा के विपरीत नवीन नक्शा बनाया है जो मौके के विपरीत है इसलिए प्रार्थीगण बन्दोवस्त विभाग द्वारा हाल नक्शा बनाते समय की गई त्रुटि को दुरूस्त कराकर हाल को गत नक्शा के अनुसार तरमीम कराये जाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के नवीन ख.न. 1070/0.36, 1071/0.30 वाके ग्राम बडेसरा तहसील जनूथर के हाल नक्शा बन्दोबस्ती को गत राजस्व नक्शा सम्बत 1926 के अनुसार तरमीम(संशोधित) करते हुए प्रार्थीगण के नवीन ख.नम्बर 1070/0.36 वाके ग्राम बडेसरा तहसील जनूथर के उत्तरी–पश्चिमी कौने की मेंड को रास्ता ख.नम्बर 1019 से भिडाते हुए तरमीम कर संशोधित किये जाने की आज्ञा तहसीलदार जनूथर को फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी **अन्तर्गत धारा 136 व 111** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 12.08.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 1,2,7,10,11 से ओर से अधिवक्ता उपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 3,8,9 एवं दिनांक 15.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 4,5,6 बाबजूद सूचना व तामील के उपस्थित नहीं होने से इनकी अनुपस्थिति/एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1,2,7,10,11 के वकील द्वारा अपना जबाव पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि प्रार्थीगण बदन सिंह वगै0 का साविक आराजी ख.न. 1161 रकबा 3 वीघा 16 विस्वा होना दर्ज किया गया है जिसे दौराने सैटिलमेंट हाल ख.न. 1070/0.36, 1071/0.30 बनाये गये है प्रार्थीगण का साविक खसरा नम्बर 1161 रकबा 3 वीघा 16 विस्वा की पैमाईश 60 ऐयर होती है और प्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 1070/0.36 व 1071/0.30 कुल 66 ऐयर आया है जो साविक के मुकावले 6 ऐयर आराजी अधिक दर्ज की गई है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रा0पत्र में दर्ज नहीं किया गया है व प्रार्थीगण द्वारा प्रा0 पत्र में सभी तथ्य गलत दर्ज किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार जनूथर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार जनूथर के पत्रांकःएल.आर./2024/528 दिनांक 09.07.2024 से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित है कि आराजी खसरा नम्बर 1072/0.34, 1070/0.36, 1071/0.30 के मौका अनुसार मुताविक रिकार्ड ख.नम्बर 1072/0.34,अंजू पुत्री टीकमसिंह हि0 1/36 अनारदेई पत्नी टीकम सिंह हि0 1/36, कुंवरसैन पुत्र दुर्गी हि0 1/2, किरनपाल

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

सिंह पुत्र हुकमसिंह 1/36 गुड्डीदेवी पुत्री टीकमसिंह हि0 1/36, देशराजसिंह पुत्र टीकमसिंह हि0 1/36, देशराजसिंह पुत्र टीकमसिंह हि0 1/36,लखन सिंह पुत्र टीकम सिंह हि0 1/36, श्यामलाल पुत्र दरयाब 1/6 शीला पुत्री टीकमसिंह हि0 1/36 दर्ज है। मुताविक रिकार्ड ख.नम्बर 1070/0.36, 1071/0.30 अंकित पुत्र वीरी सिंह हि0 1/72, अजमत पुत्र रामचरन हि0 1/24, इन्द्राज पुत्र गोविन्दसिंह हि0 1/48, करतार सिंह पुत्र भजनलाल हि0 1/12 गोपाल पुत्र किशनसिंह हि0 1/6, डालचन्द पुत्र किशनससिंह हि0 1/16,नानादेव पुत्र वीरी सिंह हि0 1/72, धारा पुत्र गोविन्दसिंह हि0 1/48, नवावसिंह पुत्र रतीराम हि0 1/12, बदनसिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 1/8, बनवारी पुत्र भजनलाल हि0 1/12, वावूलाल पुत्र किशनसिंह हि0 1/16,मुखत्यार सिंह पुत्र रतीराम हि0 1/12,यादराम पुत्र रामचरन हि0 1/24,योगेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हि0 1/48,श्रीराम पुत्र रतीराम हि0 1/12, सुभाष पुत्र भजनलाल हि0 1/12,सविता पत्नी वीरी सिंह हि0 1/72 दर्ज रिकार्ड है। ख0नम्बर 1072/0.34 में आधे हिस्से पर किरनपाल पुत्र हुकमसिंह जाति जाट एवं आधे हिस्से पर हरवीर,राजवीर पिस0 कुंवरसैन जाति जाट का कब्जा काश्त है। ख0 नम्बर 1070/0.36 व 1071/0.30 पर सम्बन्धित खातेदारान का कब्जा है जिसको सम्बन्धित खातेदार ईंधन, लकडी, बिटौरा इत्यादि डालकर उपयोग में लेते है तथा ख0 नम्बर 1072 में से खसरा नम्बर 1070 व 1071 के लिए पहले से ही रास्ता बना हुआ था जिसका उपयोग भी सम्बन्धित खातेदार करते आ रहे है तथा सैटिलमेंट पूर्व के रिकार्ड में भी उक्त रास्ता दर्ज है। उक्त रास्ते को लगभग 6 माह पूर्व किरनपाल पुत्र हुकमसिंह द्वारा गड्डा खोदकर कंटीली लकडियां लगाकर बंद कर दिया था जोकि वर्तमान में भी बन्द है। यह रास्ता बडेसरा से मवई जाने वाले रास्ते ख.नम्बर 1019 से लगता है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 111 एल.आर.एक्ट में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थीगण के नवीन ख.न. 1070/0.36, 1071/0.30 वाके ग्राम बडेसरा तहसील जनूथर के हाल नक्शा बन्दोबस्ती को गत राजस्व नक्शा सम्बत 1926 के अनुसार तरमीम (संशोधित) करते हुए प्रार्थीगण के नवीन ख.नम्बर 1070/0.36 वाके ग्राम बडेसरा तहसील जनूथर के उत्तरी–पश्चिमी कौने की मेंड को रास्ता ख.नम्बर 1019 से भिडाते हुए तरमीम कर संशोधित किये जाने की आज्ञा तहसीलदार जनूथर को फरमाई जावे।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 7, 10, 11 के द्वारा बहस के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि अप्रार्थी संख्या 1, 2, 10, 11 के वकील द्वारा अपना जबाव पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि प्रार्थीगण बदन सिंह वगै0 का साविक आराजी ख.न. 1161 रकबा 3 वीघा 16 विस्वा होना दर्ज किया गया है जिसे दौराने सैटिलमेंट हाल ख.न. 1070/0.36, 1071/0.30 बनाये गये है प्रार्थीगण का साविक खसरा नम्बर 1161 रकबा 3 वीघा 16 विस्वा की पैमाईश 60 ऐयर होती है और प्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 1070/0.36 व 1071/0.30 कुल 66 ऐयर आया है जो साविक के मुकावले 6 ऐयर आराजी अधिक दर्ज की गई है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रा0पत्र में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

नहीं किया गया है व प्रार्थीगण द्वारा प्रा0 पत्र में सभी तथ्य गलत दर्ज किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र,अप्रार्थीगण संख्या 1,2,7,10,11 के जबाव,तहसीलदार जनूथर की रिपोर्ट,जमाबन्दी सम्बत 2075–2078 हाल खसरा नम्बर 1072 प्रदर्श–1,जमाबन्दी सम्बत 2075–2076 हाल खसरा नम्बर 1070,1071 प्रदर्श–2,जमाबन्दी सम्बत 2075–2078 हाल खसरा नम्बर 1019 प्रदर्श–3, भू–प्रबंध विभाग मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 हाल खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.36 गत खसरा नम्बर 1161मिन रकबा 3 वीघा 16 विस्वा हाल खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.34 गत खसरा नम्बर 1162 रकबा 1वीघा 12 विस्वा हाल खसरा नम्बर 1071रकबा 0.30हैक्टे0 गत खसरा नम्बर 1161मिन से बने है, प्रदर्श–4,भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 हाल खसरा नम्बर 1019 रकबा 0.49 गत खसरा नम्बर 1106 मिन 1107 मिन से 1107मिन से बने है, प्रदर्श–5,नक्सा साविक खसरा नम्बर 1161, 1162, नक्सा किश्तवार हाल खसरा नम्बर 1070, 1071, 1072, प्रदर्श–7,जमाबन्दी सम्बत 2024 साविक खसरा नम्बर 1161, प्रदर्श–8,जमाबन्दी सम्बत 1024 साविक खसरा नम्बर 1062 प्रदर्श–9, का अवलोकन किया गया।

प्रदर्श–2 के अनुसार प्रार्थीगण के हाल खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.36, 1071 रकबा 0.30 ग्राम बडेसरा तहसील जनूथर में स्थित है,प्रदर्श–1, अप्रार्थीगण का हाल खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.34 प्रार्थीगण की आराजी से सटा हुआ है। अप्रार्थीगण के हाल खसरा नम्बर 1072 से खसरा नम्बर 1019 रकबा 0.45 गै.मु. रास्ता है प्रदर्श–3,जो सरकारी है। हाल नक्शे में प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1070 व 1071 सरकारी रास्ता 1019 से दूर है क्योंकि बीच में अप्रार्थीगणा का हाल खसरा नम्बर 1072 पडता है प्रदर्श–7 प्रार्थीगण का कहना है कि हाल खसरा नम्बर 1070 व 1071 साविक खसरा नम्बर 1161 रकबा 3 वीघा 16 विस्वा हाल खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.34 साविक खसरा नम्बर 1162 रकबा 1 वीघा 12 विस्वा हाल खसरा नम्बर 1019 रकबा 0.49 साविक खसरा नम्बर 1106 मिन 1107 से बने है प्रदर्श–4 व 5 है।

प्रार्थीगण का कहना है कि साविक नक्शे में प्रार्थीगण का साविक खसरा नम्बर 1161 का कौना रास्ते से लगा हुआ था। अप्रार्थीगण का साविक खसरा नम्बर 1162 आम रास्ते के साविक खसरा नम्बर 1106 व 1107 से सटा हुआ था। पुराने नक्शे के आधार पर नये नम्बरों को दुरूस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण का कहना है कि प्रार्थीगण के साविक खसरा नम्बर 1161 का रकबा 3 वीघा 16 विस्वा की नई पैमाईश में रकबा 60 ऐयर बनता है। जबकि प्रार्थीगण के साविक खसरा नम्बर से बने नये खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.36, 1071 रकबा 0.30 कुल 66 ऐयर रकबा है। अर्थात 6 ऐयर रकबा भू–प्रबंध विभाग ने प्रार्थीगण का गलत बढाया है। जिसके कारण हाल नक्शा परिवर्तित हुआ है।

हमने नक्शा साविक खसरा नम्बरान 1161, 1162 जो प्रदर्श–6 है का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का साविक खसरा नम्बर 1161 का कोना रास्ते से सटा हुआ है। जबकि हाल खसरा नम्बर के नक्शे जो प्रदर्श–7 पर है। प्रार्थीगण के साविक खसरा नम्बर 1070 व 1071 रास्ते से दूर बनाये गये है। हाल नक्शे व गत नक्शे में भिन्नता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थीगण का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136, 111 एल.आर.एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के हाल खसरा नम्बर के नक्शे को साविक खसरा नम्बर के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136,111 एल.आर.एक्ट, रिकार्ड व मौकानुसार सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण का साविक खसरा नम्बर 1161 का कोना रास्ते से सटा हुआ है। जबकि हाल खसरा नम्बर के नक्शे जो प्रदर्श–7 पर है। प्रार्थीगण के साविक खसरा नम्बर 1070 व 1071 रास्ते से दूर बनाये गये है। हाल नक्शे व गत नक्शे में भिन्नता है। प्रार्थीगण का धारा 136, 111 एल.आर.एक्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के हाल खसरा नम्बर के नक्शे को साविक खसरा नम्बर के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner